अध्याय–VI
वन प्राप्तियां

अध्याय-VI
वन प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का अध्यक्ष है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल को 37 क्षेत्रीय मण्डलों के आठ वन अरण्यपाल सहयोग प्रदान करते हैं। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन दोहन कार्यकलापों एवं पुनरूत्पत्ति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2017-18 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा योग्य 38 इकाइयों जिनमें ₹3.09 करोड़ की प्राप्तियां हैं में से, 11 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से उद्घाटित हुआ कि ₹78.05 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 42 मामलों में रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली, ब्याज/विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना, जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि तथा अन्य अनियमितताएं ध्यान में आई जो कि नीचे दर्शाई गई हैं:

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

			₹ करोड़ में
क्रम संख्या	**श्रेणी**	**मामलों की संख्या**	**राशि**
1.	रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली	14	27.49
2.	ब्याज/विस्तार फीस का उद्ग्रहण न करना	10	0.85
3.	जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि	8	1.20
4.	अन्य अनियमितताएं	10	48.51
	योग	**42**	**78.05**

श्रेणी-वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे दिए गए ग्राफ में दर्शाया गया है:

ग्राफ - 6.1

लेखापरीक्षा परिणाम

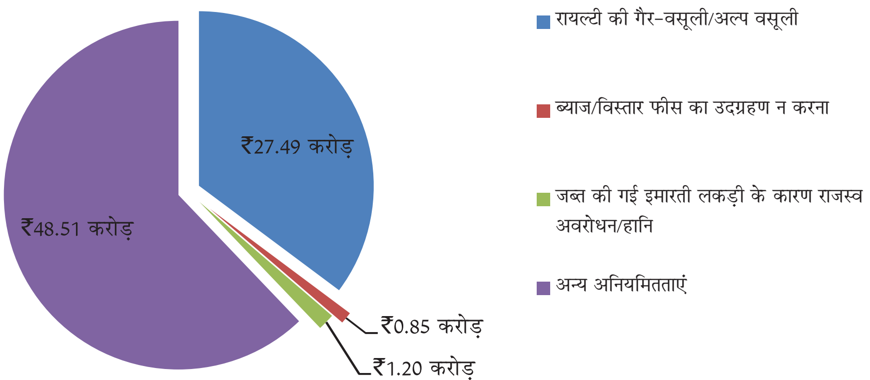

2017-18 के दौरान विभाग ने 14 मामलों में ₹1.82 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जो कि वसूल कर ली गई थी तथा विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

₹2.43 करोड़ के महत्वपूर्ण मामलों को निम्नलिखित परिच्छेदों में विवेचित किया है।

6.3 जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान न करना

2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 225.916 घन मीटर जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.18 करोड़ के राजस्व का अवरोधन हुआ तथा इसकी निगरानी पर व्यय हुआ साथ ही इमारती लकड़ी का क्षय हुआ।

भारतीय वन अधिनियम में अधिग्रहण योग्य सम्पत्ति को जब्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। अप्रैल 1951 के विभागीय अनुदेशों के अनुसार जब्त की गई इमारती लकडी अथवा वन उत्पाद को या तो *सपुरदार*[1] की *सुपुर्दगी* (सुरक्षित अभिरक्षा) में रखा जाना चाहिए अथवा *फार्म*-17 में लेखाबद्ध करने के पश्चात सम्बन्धित क्षेत्रीय स्टॉफ के पास रखा जाना चाहिए। लेखाबद्ध की गई इमारती लकड़ी/उत्पाद का निपटारा या तो अपराध प्रशमन होने अथवा न्यायालय के निर्णय के उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने सभी अरण्यपालों को निर्देश दिए (अप्रैल 1999) कि जहां पर वन उत्पादों की *सुपुर्दगी* अत्यधिक लम्बी अवधि हेतु ली गई है वहां सम्बन्धित जांच अधिकारी को ऐसे उत्पादों की निगरानी पर व्यय को कम करने तथा क्षय/चोरी से बचाव के लिए 15 दिनों के भीतर जब्त सम्पत्ति की नीलामी करवाने हेतु सक्षम न्यायालय के आदेश प्राप्त करने को कहा जाना चाहिए।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 11 वन मण्डल अधिकारियों में अन्तर्ग्रस्त 48 मामलों के इमारती लकड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इनमें से, सात वन मण्डलों के 35 मामलों में इमारती लकड़ी को जब्त किया गया था। लेखापरीक्षा ने 30 मामलों की नमूना जांच की तथा पाया कि वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 22 मामलों में ₹1.18 करोड़[2] मूल्य की 225.916 घन मीटर इमारती लकड़ी को विभाग ने जब्त किया था। जब्त की गई इमारती लकड़ी का विभाग के विभिन्न डिपुओं में बिना किसी अभिलेख के रखा होना यह दर्शाता है, कि क्या सम्बन्धित वन अधिकारियों/जांच अधिकारियों ने जब्त की गई इमारती लकड़ी के निपटान हेतु कोई ठोस कदम उठाए थे अथवा न्यायालय के आदेशों को प्राप्त किया गया था। अत: जब्त की गई इमारती लकड़ी का निपटारा न करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक न केवल राजस्व का अवरोधन हुआ बल्कि इसकी निगरानी करने पर भी व्यय हुआ तथा इमारती लकड़ी के क्षय (खराब होने) की सम्भावना भी बनी रही।

विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि हमीरपुर में वन मण्डल अधिकारी द्वारा इमारती लकड़ी के निपटानार्थ कार्रवाई की जा रही थी; अन्य वन मण्डल अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई इमारती लकड़ी की नीलामी हेतु प्रयास किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

---

1 लम्बरदार अथवा उस जगह का कोई विश्वसनीय व्यक्ति

2 बंजार: आयतन: 24.190 घनमीटर: ₹13.06 लाख, चंबा: आयतन: 0.944 घनमीटर: ₹0.53 लाख, चौपाल: आयतन: 84.044 घनमीटर: ₹39.37 लाख, चुराह स्थित सलूणी: आयतन: 72.453 घनमीटर: ₹39.76 लाख, देहरा: आयतन: 12.891 घनमीटर: ₹8.61 लाख, कुल्लू (वन्य जीवन): आयतन: 7.523 घनमीटर: ₹4.21 लाख तथा पार्वती स्थित शमशी: आयतन: 23.871 घनमीटर: ₹12.67 लाख

6.4 बरोजा नि:स्त्रवण हेतु वृक्षों को कम सौंपना

विभाग ने नि:स्त्रवण मौसमों 2014 एवं 2015 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को 1,22,618 वृक्षों को बरोजा नि:स्त्रवण हेतु नहीं सौंपा जिसके परिणामस्वरूप ₹82.90 लाख के राजस्व की हानि हुई।

वन मण्डलों की कार्य-योजना (राजगढ़ एवं रोहडू वन मण्डलों को शामिल करके) में प्रावधान है कि केवल श्रेणी-III[3] एवं उससे बड़े वृक्ष ही बरोजा नि:स्त्रवण हेतु अनुमत हैं तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को बरोजा नि:स्त्रवण हेतु सौंपा जाना अपेक्षित है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल के सितम्बर 2001 के अनुदेशों द्वारा पहली बार बरोजा नि:स्त्रवण हेतु वृक्षों के सम्बन्ध में न्यूनतम व्यास बरोजा नि:स्त्रवण हेतु 35 सैंटीमीटर निर्धारित किया गया तथा उन वृक्षों के लिए जिनका नि:स्त्रवण पहले भी किया गया है, के लिए नि:स्त्रवण व्यास कंधे की ऊंचाई तथा इससे ऊपर के वृक्षों के लिए 30 सैंटीमीटर रहेगा। मूल्य निर्धारण समिति के फरवरी 2016 के निर्णयानुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड क्रमश: नि:स्त्रवण मौसम 2014 एवं 2015 के लिए ₹75.30 तथा ₹65.00 प्रति ब्लेज भुगतान करेगा।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 11 वन मण्डल अधिकारियों में अन्तर्ग्रस्त 59 मामलों में बरोजा ब्लेजों हेतु सौंपी गई सूची की नमूना जांच की तथा पाया गया कि दो वन मण्डलों के 48 मामले हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को बरोजा नि:स्त्रवण हेतु वृक्ष सौंपे गए थे। 48 मामलों में से नमूना जांचित 31 मामलों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राजगढ़ मण्डल में नि:स्त्रवण मौसम 2014 के लिए 77,839 चील वृक्ष तथा रोहडू मण्डल में नि:स्त्रवण मौसम 2014 एवं 2015 के लिए 62,096 चील वृक्ष गणना हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को सौंपें जाने के लिए उपलब्ध थे। तथापि, राजगढ़ मण्डल ने केवल 17,317 वृक्षों को सौंपा तथा 2014 एवं 2015 के नि:स्त्रवण मौसम के दौरान रोहडू मण्डल ने कोई भी वृक्ष बरोजा नि:स्त्रवणार्थ नहीं सौंपा। बरोजा ब्लेजों[4] (जो कि मण्डलों के कार्ययोजना के अनुसार बरोजा नि:स्त्रवणार्थ अनुमत थे) हेतु 1,22,618 वृक्षों को न सौंपने से इन वृक्षों का नि:स्त्रवण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप दो वर्षों तक ₹82.90 लाख[5] के राजस्व की हानि हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को अप्रैल 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

6.5 विस्तार फीस का अनुद्ग्रहण

विभाग ने 62 इमारती लकड़ी के लाट्स में विस्तार फीस का उद्ग्रहण नहीं किया जहां पट्टा अवधि के दौरान इमारती लकड़ी/वृक्षों का दोहन पूर्ण नहीं हुआ था तथा दोहनार्थ समय का विस्तार भी प्रदान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹29.86 लाख के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

इमारती लकड़ी/वृक्षों के दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ मानक पट्टा विलेख अनुबन्ध के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को पट्टा अवधि की समाप्ति पर ऐसे वृक्षों जो कि पट्टे पर दिए वन में खड़े बचे थे, गिरे हुए वृक्षों तथा पट्टे पर दिए गए वन से हटाए नहीं गए,

---

3 कंधे की ऊंचाई तथा इससे ऊपर 30 घनमीटर व्यास वाले वृक्ष

4 राजगढ़: 60,522 ब्लेज़ों: ₹39.34 लाख तथा रोहडू: 62,096 ब्लेज़ों: ₹43.56 लाख

5 91,570 x ₹65 प्रति ब्लेज़ + 31,048 x ₹75.30 प्रति ब्लेज़

बिखरी हुई/ढेर लगी हुई इमारती लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण समिति के सितम्बर 2007 के निर्णय के अनुसार, पट्टा अवधि के बाद कार्यावधि के विस्तार के लिए कुल रॉयल्टी, चाहे उसका भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, का 0.20 *प्रतिशत* प्रति मास की दर पर विस्तार फीस उद्गृहीत की जाएगी।

2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने 11 वन मण्डल अधिकारियों को सौंपी गई वृक्षों/इमारती लकड़ी के लॉट्स की सूची जिसमें 545 इमारती लकड़ी के लॉट्स शामिल थे की नमूना जांच की तथा पाया गया कि चौपाल वन मण्डल में 175 इमारती लकड़ी के लॉट्स को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को सौंपा था। इनमें से, लेखापरीक्षा में 130 मामलों की नमूना जांच की गई तथा पाया गया कि वन मण्डल अधिकारी, चौपाल में 62 मामलों में विस्तार फीस को उद्गृहीत नहीं किया था जहां पट्टा अवधि 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2018 के मध्य दोहन कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका था। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने पट्टा अवधि के भीतर इन लॉट्स के दोहन कार्य को पूर्ण नहीं किया तथा तीन से 24 महीनों के मध्य के विलम्ब सहित कार्यावधि के विस्तार की मांग की। तथापि, ₹29.86 लाख की विस्तार फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा इसका भुगतान किया गया था। अतः विस्तार फीस के दावे हेतु विभाग के स्तर पर कार्रवाई न करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹29.86 लाख की राजस्व हानि को वहन करना पड़ा।

वन मण्डल अधिकारी ने बताया कि मामले को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ उठाया जाएगा।

मामला विभाग तथा सरकार को जनवरी 2018 में प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर अभी तक प्रतीक्षित थे (अगस्त 2019)।

6.6 बरोजा ब्लेज़ों का निःस्त्रवण न करना

विभाग ने वृक्षों की श्रेणी के बावजूद चील वृक्षों में दो ब्लेज़ों के बदले केवल एक ब्लेज़ ही लगाया जिसके परिणामस्वरूप 18,385 वृक्षों का निःस्त्रवण नहीं हुआ तथा ₹12.04 लाख के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग की नियम पुस्तिका के खण्ड-IV तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अप्रैल 2007 की अधिसूचना में प्रावधान है कि प्रति चील वृक्ष जिसकी परिधि 1.90 मीटर (60 से0 मी0 व्यास) तथा इससे ऊपर है, पर दो ब्लेज़ लगानी होती है। पुनः मूल्य निर्धारण समिति ने जुलाई 2014, फरवरी 2016 तथा मार्च 2018 में आयोजित बैठक में निःस्त्रवण मौसम 2013 से 2017 तक क्रमशः ₹58.78, ₹75.30, ₹65.00 तथा ₹51.00 प्रति ब्लेज़ अंतिम/अस्थाई दरें[6] निर्धारित की जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा वन विभाग को भुगतान करनी थी।

[6] वर्ष 2013 से 2016 के दोहनार्थ मौसम हेतु अंतिम दरें क्रमशः ₹58.78, ₹75.30, ₹65.00, ₹51.00 तथा वर्ष 2017 के लिए अस्थाई दरें ₹51.00 प्रति ब्लेज़ है।

2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में 11 वन मण्डल अधिकारियों की बरोजा नि:स्त्रवणार्थ सौंपी गई वृक्षों की सूची की नमूना जांच की जिसमें 59 मामले अन्तर्ग्रस्त थे तथा पाया गया कि तीन वन मण्डलों[7] में 45 मामलों में बरोजा नि:स्त्रवणार्थ वृक्षों को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को सौंपा गया था। इनमें से, 28 मामलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम लिमिटेड ने अपेक्षित दो ब्लेजों के प्रति 18,385 चील वृक्षों पर केवल एक ही ब्लेज़ लगाया जबकि वृक्ष का व्यास 60 सैंटीमीटर से अधिक था। अत: 18,385 ब्लेज़ों का नि:स्त्रवण न करने के परिणामस्वरूप ₹12.04[8] लाख के राजस्व की अल्प वसूली हुई।

वन मण्डल अधिकारी नालागढ़ ने बताया कि मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी जबकि दो वन मण्डल अधिकारियों ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

मामला विभाग तथा सरकार को मार्च 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर अभी तक प्रतीक्षित था (अगस्त 2019)।

उजागर किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की विस्तृत जांच हेतु कार्रवाई शुरू करे तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे।

शिमला
दिनांक : 11 अक्तूबर 2019

(आई.डी.एस.धारीवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 18 अक्तूबर 2019

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

7 चौपाल: 13,443 ब्लेज़: ₹8.73 लाख, नाचन स्थित गोहर: 1,685 ब्लेज़: ₹0.86 लाख तथा नालागढ़: 3,257 ब्लेज़: ₹2.45 लाख

8 3,987 x ₹58.78 प्रति ब्लेज़ + 7,244 x ₹75.30 प्रति ब्लेज़ + 4,229 x ₹65.00 प्रति ब्लेज़ + 2,925 x ₹51.00 प्रति ब्लेज़